**State Environment Impact Assessment Authority, M.P.**
**(Government of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change)**

**Environmental Planning & Coordination Organization**
Paryavaran Parisar, E-5. Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No: 2991 / SEIAA/21
Date: 9/2/2022

प्रति,

**श्रीमती किरण राय,**
वार्ड नं. 09,
तहसील व जिला अनुपपूर (म.प्र.)

**विषयः प्रकरण क्र. 4183/2015 मे प्रदान की गई पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालन के संबंध।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके पत्र दिनांक 25.08.2021 के माध्यम से जनवरी से जून 2021 तक की अवधि का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के परीक्षण के दौरान निम्न बिंदु उल्लेखनीय पाये गयेः–

1. विशिष्ट शर्त की कंडिका 04 के अनुसार रिक्लेमेशन हेतु राशि खनिज विभाग को प्रदान की जानी थी, किंतु राशि जमा करने संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

2. कंडिका 12 के अनुसार जल छिड़काव एवं वाहनों के आवागमन संबंधी लॉग बुक संधारित की जाना थी, किंतु इसका कोई उल्लेख नहीं है।

3. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार स्थल पर प्रतिवर्ष 20 पौधों का रोपण किया जाना था तथा कंडिका 13 के अनुसार प्रतिवर्ष लगाये गये पौधों की जानकारी उपलब्ध करायी जानी थी, किंतु यह जानकारी नहीं दी गई है।

4. CSR के अंतर्गत की गई गतिविधियों की जानकारी एवं छायाचित्र नहीं दिये गये है।

प्रकरण में यह भी देखा गया है कि आपके द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं किये जा रहे है।

आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अनुपालन प्रतिवेदन समस्त जानकारी सहित निर्धारित सयम अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

O/c (आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

क्र.. 2992 /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक 9/2/22
प्रतिलिपि :–
खनिज अधिकारी, जिला अनूपपुर की ओर सूचनार्थ ।

**प्रभारी अधिकारी**
O/c